

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2()बजट/बचत-आधिक्य/ICDS/18/46741-749

जयपुर, दिनांक: 25-3-18


उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
संबंधित।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
संबंधित।

विषय:- बचत आधिक्य के आधार पर बजट आवंटन वर्ष 2017-18 बाबत।
संदर्भ:- विभाग का पत्रांक 39499-531 दिनांक 7.3.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में जिला कार्यालयों से प्राप्त बचत आधिक्य विवरण पत्र के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पूरक पोषाहार योजना अंतर्गत गरम पूरक पोषाहार एवं आरटीई एसएचजी हेतु बजट मद 2236-02-789-01-01-61-खाद्य सामग्री (केन्द्रीय सहायता एवं राज्य निधि) अंतर्गत परिशिष्ट-अ में अंकितानुसार अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाता है।


उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार एवं विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार अविलम्ब उपयोग सुनिश्चित करावें। साथ ही आवंटित राशि में से विशेष परिस्थितियों में यदि बचत रहने की संभावना हो, अविलम्ब दूरभाष/लिखित में दिनांक 28.3.18 तक सूचित कर, राशि समर्पित करावें अन्यथा स्थिति में आवंटित राशि का उपयोग नहीं करने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जावेगा।


वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:-एफ-2()बजट/बचत-आधिक्य/ICDS/18/46750
प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक: 25-3-18

एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


वित्तीय सलाहकार

परिशिष्ट "अ"

क.सं.	आईडी	नाम परियोजना	(राशि लाखों में)		
			आरटीई 789		
1	2	3	Total	CA	SF
			4	5	6
		Non TSP			
1	22748	उपनिदेशक, बीकानेर	15.00	7.50	7.50
2	22811	बाविपअ, कोटकासिम	15.00	7.50	7.50
3	22810	.. बानसूर	15.00	7.50	7.50
4	22808	.. लक्ष्मणगढ	15.00	7.50	7.50
5	22814	.. तिजारा	15.00	7.50	7.50
6	22807	.. किशनगढबास	15.00	7.50	7.50
7	22804	.. कठूमर	15.00	7.50	7.50
			105.00	52.50	52.50